भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4015

19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रवासी श्रमिकों के लिए किफायती आवास

†4015. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिक नौकरी/रोजगार की तलाश में टियर-1 और टियर-2 शहरों में आ रहे हैं, जिससे किफायती किराये के आवासों पर दबाव बढ़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना की उप-योजना किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा मॉडल-1 और मॉडल-2 के अंतर्गत अब तक राज्यवार निर्मित घरों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने रोजगार के लिए शहरों में आने वाले प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीबों के लिए किफायती आवास इकाइयों के निर्माण के लिए अगले पांच वर्षों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और उक्त उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है; और

(घ) एआरएचसी पहल शहरी गरीबों की आवास समस्या को हल करने और पहले से ही अत्यधिक जनसंख्या का दबाव झेल रहे शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या में कमी लाने में किस हद तक मदद करेगी?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): शहरीकरण और प्रवासन बेहतर व्यावसायिक, शैक्षिक और आर्थिक अवसरों से परस्पर जुड़ी क्रियाएं हैं। भारत की जनगणना कार्यालय देश में दशकीय आधार पर प्रवासन सहित जनसंख्या की गणना करता है और पिछली जनगणना 2011 में की गई थी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) प्रवासन पर कोई डेटा नहीं रखता है।

(ग) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी प्रवासियों/गरीब व्यक्तियों को उनके कार्यस्थल के निकट सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की उप-योजना के रूप में किफायती किराये के आवास परिसरों (एआरएचसी) की शुरुआत की। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है:

मॉडल-1: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों का उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएचसी में परिवर्तित करके,

मॉडल-2: सार्वजनिक/ निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव करके।

दोनों मॉडलों के तहत स्वीकृत और पूर्ण किए गए एआरएचसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार संख्या अनुलग्नक में है।

पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से "सभी के लिए आवास" पीएमएवाई-यू 2.0 मिशन शुरू किया है, ताकि पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर घर बनाया, खरीदा और किराए पर लिया जा सके। अब तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 6 लाख से अधिक आवासों को सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है। योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/operational-guidelines-of-pmay-u-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 एक मांग आधारित योजना है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पात्रता मानदंडों के आधार पर, मांग सर्वेक्षण से उनके द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीबों सहित उन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) लाभार्थियों के लिए किराये के आवास के निर्माण

को बढ़ावा देना है जो आवास का मालिकाना हक नहीं चाहते हैं लेकिन अल्पावधि के लिए जिन्हें आवास की आवश्यकता होती है।
एआरएच घटक को दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

मॉडल-1: मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों को पीपीपी मोड के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएच में परिवर्तित करके,

मॉडल-2: शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों के कर्मचारियों, औद्योगिक संपदाओं, संस्थानों और अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किराये के आवास का निर्माण, संचालन और रखरखाव करके,

एआरएच घटक का उद्देश्य किफायती किराया आवास स्टॉक बनाने और शहरों में स्लम समूहों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को निवेश का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करके एक अनुकूल वातावरण बनाना है।

*****

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4015 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क. योजना के मॉडल-1 के तहत लाभार्थियों के लिए एआरएचसी में परिवर्तित किए गए सरकार द्वारा वित्त पोषित मौजूदा खाली आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहर का नाम	एआरएचसी में परिवर्तित किए गए खाली आवासों की संख्या
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2,195
2	गुजरात	सूरत	393
3.		अहमदाबाद	1,376
4		राजकोट	698
5	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	480
6	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	336
7	उत्तराखंड	लालकुआँ	100
8		देहरादून	70
कुल			5,648

ख. योजना के मॉडल-2 के तहत सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और पूर्ण की गई एआरएचसी इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	का नाम		इकाई का नाम	कुल इकाइयां	पूरा किया गया निर्माण
	राज्य	शहर			
1.	तमिलनाडु	श्रीपेरंबुदुर	एसपीआर सिटी एस्टेट्स प्रा. लिमिटेड	18,112	6,160
2		श्रीपेरंबुदुर,	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	3,969	3,969
3.		होसुर	टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लिमिटेड	13,500	6,576
4		चेन्नई	राज्य उद्योग संवर्धन निगम	18,720	18,720
5		चेन्नई	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,040	-

6		चेन्नई	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	5,045	-
7	छतीसगढ़	रायपुर	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,222	-
8	असम	कामपुर टाउन	गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,222	-
9	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,112	-
10	गुजरात	सूरत	मित्सुमी हाउसिंग प्रा. लिमिटेड	453	-
11	तेलंगाना	निजामपेट	शिवानी इंफ्रा प्रा. लिमिटेड	14,490	-
12	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	कॉस्टल डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड	736	-
13		विजयनगरम	कॉस्टल डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड	652	-
कुल योग				82,273	35,425